

परियोजना का नाम - संगलाकोटी-भैरगांव-गुड्डा मोटर मार्ग का तिलखोली-जवाई तक विस्तार।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।

क्र.सं.	भूमि की श्रेणी	विद्यमान वृक्षों की संख्या	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	विवरण
1	आरक्षित वन भूमि	71	71	
2	सिंचित खेत	62	62	
3	वन पट्टा			
4	संरक्षित वन			
	योग - वन भूमि			
5	नाप भूमि	14	14	
	कुल योग :-	147	147	

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 147 वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल 147 वृक्षों का पतन किया जाना अपरिहार्य है।

प्रमाणित वन अधिकारी
80/-

वन क्षेत्राधिकारी
पाखड़ा रैल (पाखड़ा)
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी

उप प्रमाणित वन अधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग
श्रीनगर

गढ़वाल वन प्रभाग
गढ़वाल वन प्रभाग
श्रीनगर

गढ़वाल वन प्रभाग
गढ़वाल वन प्रभाग
श्रीनगर

परियोजना का नाम :- संगलाकोटी-भैरगांव-गुड्डा मोटर मार्ग का तिलखोली-जोड़ी तक विस्तार।

वन संरक्षक द्वारा दिये जाने वाले बांज वृक्षों के पालन का प्रमाण-पत्र

प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक को स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान परियोजना के निर्माण से बांज प्रजाति के निम्न वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं :-

क्र.सं.	भूमि की श्रेणी	वनाधिकार/कम्पाउन्ड/खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	80.90	90 से अधिक	योग
1	आरक्षित वन भूमि												
2	सिंचित संधान भूमि												
3	वन पंचायत												
4	संरक्षित वन												
	योग :- वन भूमि												
5	नाप भूमि												
	कुल योग :-												

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पालन परियोजना के निर्माण हेतु किया जाना अपरिहार्य है।

हस्ताक्षर/—वन संरक्षक,

परियोजना का नाम:- संगलाकोटी-शैलगांव-गुड्डहा मोटर मार्ग का तिलखोली-जोड़ी तक विस्तार।

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रामाणिक वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर कुल 147 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

परियोजना प्रयोक्ता एजेन्सी
जोड़ी तिलखोली-जोड़ी
पृष्ठ-23

वन क्षेत्राधिकारी
पोखड़ा रेंज (पोखड़ा)
गाढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी

वन क्षेत्राधिकारी
उप प्रामाणिक वनाधिकारी
गाढ़वाल वन प्रभाग
पौड़ी

प्रामाणिक वनाधिकारी
पृष्ठ-23

परियोजना का नाम :- संगालाकोटी-भैरगांव-गुडिहडा मोटर मार्ग का तिलखोली-जवोड़ी तक विस्तार।

न्यूनतम वृक्षों के पालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपर परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पालन किया जायेगा।

उद्देश्य का अंगीकार
निर्माण विभाग
गो. नि. वि.

वन क्षेत्रधिकारी
गो. नि. वि.

पोखड़ा रेंज (पोखड़ा)
गठमान वन प्रभाग, जोड़ी

उप प्रमुख वनधिकारी
गठमान वन प्रभाग, जोड़ी

परिचालन विभाग
गो. नि. वि.

प्रमाणित वनधिकारी
हो/-

परियोजना का नाम:- संगलाकोटी-भैरगांव-गुड्डा मोटर मार्ग का तिलखोली-जोड़ी तक विस्तार।

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की

हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी 11 किमी है।

प्रमाणित वन अधिकारी

हृ० /

उप प्रमाणित वन अधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग
श्रीनगर

वन क्षेत्राधिकारी
पोखरा रेंज (पोखरा)
गढ़वाल वन प्रभाग, जोड़ी